RAJYA SABHA

Friday, the 30th November, 2007/ 9 Agrahayana, 1929 (Saka)

The House met at eleven of the clock,

MR. CHAIRMAN in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Safe water to affected communities of chemical leak from Union Carbide in Bhopal

*221. SHRI NANDI YELLAIAH: Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Amnesty Secretary General while addressing the Prime Minister during 2006, expressed deep concern that Government has failed to ensure regular and sufficient piped drinking water to all affected communities in Bhopal in compliance with a 2004 Supreme Court order, as several thousands of people in several parts of Bhopal still drink even today poisoned water, even after more than two decades, after the deadly chemical leak from the multinational Union Carbide Plant; and

(b) if so, the details of action taken so far, by the Central and the State Governments?

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI RAM VILAS PASWAN): (a) and (b) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) The Secretary General, Amnesty International had appealed to the Prime Minister in an open letter dated 6th April, 2006 to take immediate steps to ensure regular supply of adequate safe water for the domestic use of the affected communities in Bhopal, in line with the order issued by the Supreme Court.

The Supreme Court of India *vide* its order dated 7th May, 2004 directed the State Government of Madhya Pradesh to ensure safe drinking water supply to the 14 gas affected bastis situated near the Union Carbide Plant at Bhopal.

The Government of Madhya Pradesh, in compliance with the orders of Supreme Court, ook action and installed 98 water tanks at different places in the said bastis.

During the initial stage, these tanks were filled up by transportation of water through private and Corporation tankers. As an interim measures, four tubewells were drilled at Raslakhedi, which is five kilometers away from these bastis and two 50,000 gallon capacity sumps were constructed at Bhanpur and Blue Moon Colony. Remaining tanks are still being filled by transportation of water through tankers. Water is being chlorinated and is potable and quality testing done regularly.

Based on the sanction by Government of India in April, 2006 for a project under the Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission (JNNURM), the Government of Madhya

Pradesh had sanctioned Rs. 14.18 crore to Bhopal Municipal Corporation (BMC), under this project, for providing safe drinking water through pipelines from the Kolar Reservoir to 14 localities around the UCIL plant site. The Government of Madhya Pradesh has informed that the work order amounting to Rs. 10.55 crores for laying and joining of the D.I. pipes had been issued on 20th July, 2007 and Rs. 2.74 crores for construction of R.C.C. overhead tanks issued on 6th November, 2007. Work related to these activities is under progress. Completion time of these works, as informed by the State Government, is one year from the date of issue of work orders.

In addition, a Consultant has been appointed for preparation of a Detailed Project Report (DPR) for distribution of water in Bhopal city, including the 14 bastis.

श्री नंदी येल्लैया: सर, आज का जो सवाल है, यह ऐसा सवाल है जिसका ताल्लुक सभी लोगों से है। एक जमाने में जब विदेशी लोग अगर स्वदेश में आते थे तो हरेक आदमी के पास मिनरल वाटर रहता था, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि वाटर के अंदर 75 परसेंट पॉल्यूशन है, इसको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश था, जिसके अनुसार सभी हमारे मंत्री महोदय ने उनका काफी विस्तार से, डिटेल में ब्यौरा दिया। 14 crore 18 lakh इस पाईप लाइन के लिए दिया गया। इस भोपाल के अंदर आज से 25 साल पहले तक भयानक दुर्घटना हुई थी।

श्री सभापति: Question please.

श्री नंदी येल्लैया: अध्यक्ष महोदय, मैं सवाल पर ही आ रहा हूं। मैं उसी के लिए ठहरा हूं, दूसरे किसी के लिए नहीं ठहरा हूं, उसी सवाल को पूछने के लिए ठहरा हूं। आज से 25 साल पहले मध्य प्रदेश के भोपाल के अंदर एक भयानक दुर्घटना हुई थी, जिसकी वहज से अभी यह क्वेश्चन उठा। अभी हमारे मंत्री महोदय ने यह बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, भारत सरकार की ओर से, जिसे आपने रिलीज किया, लेकिन मध्य प्रदेश में जहां इसका लिकेज हुआ, उसके लिए वहां के राज्य सरकार का कितना फण्ड है, कितना उसका बजट है? इस विषय में कुछ भी नहीं हुआ, तो यह मेरा फर्स्ट Supplementary Question है।

श्री राम विलास पासवान: सर, इसमें हमने बतलाया है कि जो वहां की कई एक समस्याएं हैं, पानी की समस्या है, राहत की समस्या है, क्रिमिनल केसेज चल रहे हैं, कचरा हटाने की समस्या है, बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन आज जो इसका specific question पानी के संबंध में है कि लोगों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो, इसके लिए वहां की सरकार क्या कदम उठा रही है? अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, उसके बाद 2004 में 98 टैंकर अतिरिक्त पानी की वहां व्यवस्था की गई, लेकिन लोगों की यह शिकायत थी कि साहब, यह पानी भी पाल्यूटेड है और प्रदूषित है। उसके बाद भानपुर तथा ब्लूमून में दो हौद बनाए गए और रसलाखेड़ी से उन हौदों में पानी आ रहा है, रसलाखेड़ी, भोपाल में वहां से पांच किलोमीटर की दूरी है। इस प्रकार, भानपुर और ब्लूमून कालोनी में रसलाखेड़ी से पानी आ रहा है, लेकिन वह पांच किलोमीटर की दूरी है। NGOs के लोग हमसे मिले थे और उन्होंने कहा कि वह भी पानी पॉल्यूटेड है, इसलिए उसमें हम लोगों को दूसरी जगह से यानी कोलार से पानी चाहिए। कोलार वहां से 17 किलोमीटर की दूरी पर है, उसके लिए सरकार ने 14.18 करोड़ रुपए दिया, जो आप कह रहे हैं, और 'जवाहरलाल नेहरू नेशनल अरबन रेन्युअल मिशन' के अंतर्गत राज्य सरकार को मार्च, 2006 में दिया और पाईप लाइन बिछाने और जलाशय बनाने का काम जारी है और वह नवंबर, 2008 तक पूरा हो जाएगा। इसके अलावा पूरे भोपाल शहर, जिसमें ये 14 बस्तियां भी शामिल हैं जहां पर यह पॉल्यूटेड वाटर है, के लिए पानी की समस्या हल करने के लिए एक Consultant नियुक्त किया गया है।

श्री नंदी येल्लैया: सर, भोपाल के अंदर यह जो दुर्घटना हुई, वहां राज्य सरकार की तरफ से फंड्ज का कोई जिक्र नहीं किया गया है, तो मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि इन फंड्ज से कब तक, कितने ज़िलों में, कितने गांवों में, कितने शहरों में सेफ वाटर सप्लाई की जा रही है, इसका कोई ब्यौरा आप दे सकते हैं?

श्री राम विलास पासवान: राज्य सरकार की सारी बातों को हम यहां नहीं बता सकते हैं। यह मामला सिर्फ भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित है। इसमें केवल चौदह बस्तियां हैं, जो प्रभावित हैं और उनके लिए पानी की जो समस्या है, उसके संबंध में हमने जवाब दे दिया है।

DR. K. MALAISAMY: Sir, it is most disheartening to note that the problem of drinking water supply to the victims of Bhopal gas blast is yet to be solved. From the reply of the Minister we are able to see that the tragic event took place as early as two decades back and the Supreme Court order was dated 2004 and the letter of Amnesty Secretary General is 2006. From the facts we are able to see that the problem of drinking water supply is in the process of correction. They should have taken long-term or short-term measures. As far as drinking water supply is concerned why should wait for the Supreme Court order? It is the basic responsibility of the Government and the local authorities to do these things. Sir, I would like to ask now whether they have taken it very seriously and whether they can give a time frame before which they can say that everything is complete as per the Supreme Court order.

श्री राम विलास पासवान: सर, हमने कह दिया कि यह बात सही है कि 2004 तक वहां लोगों के लिए जो स्वच्छ पानी की व्यवस्था होनी चाहिए थी, वह नहीं हो सकी और 2004 में जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, तो उसके बाद से यह सारी प्रक्रिया शुरू हुई और उसमें 98 टैंकर्स की बात हमने कही। बाद में पांच किलोमीटर की दूरी पर हौद बनाने की बात है, लेकिन जो नया काम शुरू किया गया है, यह नवंबर, 2008 तक पूरा कर लिया जाएगा और एन.जी.ओज़ की पानी के संबंध में भी यही मांग थी।

DR. K. MALAISAMY: My question is: why should they wait till the Supreme Court gives a verdict. Why don't they do it by themselves *Suo moto?* Are they not bound to do?

SHRI RAM VILAS PASWAN: Central Government cannot say anything on this.

श्री अमर सिंह: सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि process of correction की बात हो रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या यह सही है कि 9000 टन से भी ज्यादा जहरीले रसायन के रिसाव के कारण Dow Chemical Plant के नज़दीक रहने वाले तीस हज़ार से भी ज्यादा लोग वहां के पानी और मिट्टी के विषाक्त हो जाने से बीमार हो चुके हैं। क्या सरकार ने भोपाल गैस त्रासदी से प्रभावित लोगों को इस संबंध में बार-बार आश्वासन दिया है? इसके साथ ही केंद्र सरकार ने कार्बाइड प्लांट साइट के नज़दीक रहने वाले लोगों को पाइप लाइन द्वारा शुद्ध जल पहुंचाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को क्या साढ़े चौदह करोड़ रुपए दिए हैं? यदि हां, तो यह मंत्रालय का सिर्फ आश्वासन ही है या process of course correction है और कब तक यह हो जाएगा? साढ़े चौदह करोड़ रुपयों का क्या हुआ? यह कहां गया? अभी तक पानी शुद्ध क्यों नहीं हुआ?

श्री राम विलास पासवान: सर, 14.8 करोड़ रुपए मार्च, 2006 को राज्य सरकार को दे दिए गए थे। पाइप बिछाने और जलाशय बनाने का काम जारी है और जैसा कि मैंने कहा कि नवंबर, 2008 यानी अगले साल उसका टाइम बाउंड है, उस समय तक यह पूरा कर लिया जाएगा।

श्री मोती लाल वोरा: माननीय सभापति महोदय, यह हादसा जब हुआ था, उस समय मैं भोपाल में था। उस समय मध्य प्रदेश सरकार ने इन सारी बस्तियों को, जो पेयजल के संकट से ग्रसित थीं, उसका उपाय किया था। मैं माननीय मंत्री जी से केवल एक ही बात पूछना चाहता हूं कि जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत जो धनराशि भारत सरकार ने दी है, क्या माननीय मंत्री महोदय इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि उसका सही ढंग से उपयोग हो जाए? क्योंकि माननीय सभापति महोदय, आप भी जानते हैं कि यूनियन कारबाइड की जो गैस निकली थी, उससे एक ही दिन के अंदर उस वक्त पूरा भोपाल खाली हो चुका था। यह एक गंभीर दुर्घटना थी। मैं माननीय मंत्री महोदय से केवल यही जानना चाहता हूं कि इस मिशन के अंतर्गत जो धनराशि मध्य प्रदेश सरकार को दी गयी है, क्या उसकी समय-समय पर जांच कराने की व्यवस्था आप करेंगे?

श्री राम विलास पासवान: सर, इसके लिए ऑलरेडी एक कोऑर्डीनेशन कमेटी बनायी गयी है। एनजीओज़ की तरफ से यह डिमांड थी। हमारे केमिकल्स ऐंड पेट्रोकेमिकल्स के जो सेक्रेटरी हैं, वे उसके अध्यक्ष हैं। वे समय-समय पर ही नहीं, बार-बार उसकी निगरानी करेंगे।